

20/25

पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पत्रावली पर आदेशानुसार आयन्दा दिनांक 20/5/25 को प्रस्तुत हो।

14/25

पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उपस्थित। श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक 20/5/25 को पेश हो।

28/25

पत्रावली प्रस्तुत हुई। आज आभभाषक सच द्वारा काय स्थगित रखा। अतः पत्रावली आदेशानुसार पत्रावली आयन्दा दिनांक 30/5/25 को प्रस्तुत हो।

न्यायालय की आज्ञा से
डी. डी.
उप जिला कलक्टर अनूपगढ़

20/5/25

पत्रावली प्रस्तुत हुई। आज आभभाषक सच द्वारा काय स्थगित रखा। अतः पत्रावली आदेशानुसार पत्रावली आयन्दा दिनांक 27/5/25 को प्रस्तुत हो।

न्यायालय की आज्ञा से
डी. डी.
उप जिला कलक्टर अनूपगढ़

7/25

पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उपस्थित। श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक 22/5/25 को पेश हो।

12/25

पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने प्रतिवादी की तलबी देहू जमानत तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। वकील वादी ने पूर्व में तलबी देहू जमानत दिए गए हैं। अतः इस स्थिति में वादी का बाद न्यायालय द्वारा 09/25 एवं धारा 151 सी पी सी के तहत स्थागित किया जाता है। पत्रावली आदेशानुसार वाकिबल दफ्तर दोहरा दर्ज नवंबर से उप हो।

सुरेश रॉय
उपसखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़